

नियमों के उल्लंघन में 29 बिल्डरों पर कार्रवाई होगी

रेरा

पटना, हिब्यू। पटना में रera नियमों का उल्लंघन कर प्लॉट और फ्लैट बेच रहे 29 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रera की ओर से की गई सेटेलाइट जांच में इनके प्रोजेक्ट में मानक का उल्लंघन पाया गया है। अब ऐसे प्रोजेक्ट की स्थलीय जांच शुरू होगी। साक्ष्य इकट्ठा कर इनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी।

स्थलीय जांच से पहले रera और पटना जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में बैठक आयोजित की गई। स्थलीय जांच में इनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा। बैठक में पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों को इन बिल्डरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग को कहा है। रera जांच आयुक्त संजय सिंह, सचिव अनिमेष पाण्डेय, पटना नगर आयुक्त यशपाल मीणा एवं पटना के अपर समाहर्ता (राजस्व) ओंकारेश्वर सहित रera बिहार

- मानकों का उल्लंघन कर प्लॉट और फ्लैट बेचने का लगा है आरोप
- रera बिहार के सेटेलाइट चित्र के जरिए जांच में हुआ खुलासा

के अधिकारी एवं पटना में पदस्थापित क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। रera जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में जिला एवं संबंधित निकाय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बताया कि सेटेलाइट चित्र से ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की जाती है, जो रera अधिनियम का उल्लंघन कर बनाए जाते हैं। उसके बाद संबंधित जिले के प्रशासन के सहयोग से रera एवं जिले के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा स्थल जांच की जाती है। अभियान के तहत सारण, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी जांच की गई है। सारण में 18, भागलपुर में 9, पूर्णिया में 5, दरभंगा में 19 और मुजफ्फरपुर में 11 बिल्डरों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गयी है।